प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी. सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2023**
प्र.इ.रि.सं. 159/2023 दिनांक 20/6/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें. 7
(2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–................धारायें..............–.........................
(3) अधिनियम ....–...............................धारायें........................–......................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये.......................................–...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....312.......समय.................4:40 P.M.........
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 19.06.2023 समय – 03.08 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 27.05.2023 समय 04.30 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– हस्त लिखित

5. घटनास्थल :– नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पूर्व करीब 80 कि0मी0
(ब) पता :– नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर ।
....बीट सख्या.................–....................जरायमदेही सं...–......
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–..............................जिला...............–...........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री गणपतलाल
(ब) पिता का नाम : श्री पूनाराम
(स) जन्म तिथि : 35 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या...................–..जारी होने की तिथि ...–...........
जारी होने की जगह ....–...
(र) व्यवसाय :– मजदुरी
(ल) पता :– निवासी – निवासी बेरा–निचला भेवरिया शिवनगरी स्कूल के पास– बिलाडा जिला जोधपुर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. श्री पप्पुराम बैरवा पुत्र श्री बालुराम बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ली तहसील व पुलिस थाना बेजुपाडा जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि 10,000/– रूपये..

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)..

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण–जोधपुर

विषयः– रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बाबत्
महोदयजी

उपरोक्त विषय में निवेदन हैं की मै प्रार्थी गणपतलाल राठौड पुत्र श्री पूनाराम राठौड जाति सीरवी उम्र 35 वर्ष पेशा प्राईवेट धंधा निवासी–निचला भेवरिया शिव नगरी स्कूल के सामने बिलाडा वार्ड नं0 33 की अर्ज इस प्रकार हैं की मेरे पिताजी के नाम से नगर पालिका बिलाडा से पट्टा जारी हुवा हुआ हैं जिसमे कुछ क्षेत्रफल बढा कर कच्ची बस्ती योजना मे अपने नाम से नया पट्टा जारी करवाने के लिये नगर पालिका बिलाड़ा आवेदन फाईल जमा करवाई गई थी। नगर पालिका बिलाडा मे मैंने पट्टा जारी करने हेतु नियमन शुल्क और लीज राशि कुल रू0. 6042/–00 रसीद सं0 26 बुक सं0 600 के मार्फत 26 मई 23 को जमा करवाये थे' अब नगर पालिका बिलाड़ा में पदस्थापित JEN पप्पु राम बैरवा ने मौका रिपोर्ट से लेकर पट्टा देने के एवज में मुझसे 10,000/– रू. की मांग कर रहा हैं मैं अपने जायज काम के लिये JEN पप्पुराम बैरवा को कोई रिश्वती राशि नही देना चाहता हू और रिश्वत लेते हुए JEN पपपुराम बैरवा को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हू मैरी पप्पुराम के साथ मे कोई दुश्मनी नही हैं और नाही किसी प्रकार का लेना देना हैं मैं अपने नगर पालिका पट्टा आवेदन की नियमन शुल्क की रसीद और ड्राईविंग लाईसेंस (D/L) की प्रतिलिपी पेश कर रहा हू श्रीमानजी से निवेदन हैं की उचित कारवाई करावें।

भवदीय
एसडी
गणपतलाल राठौड S/o पूनाराम
बेरा–निचला भेवरिया
शिवनगरी स्कूल के पास– बिलाडा
Mob 8386019993

दिनांक 27/05/2023

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

निवेदन हैं कि दिनांक 27.05.2023 को वक्त 4.30 पी.एम. परिवादी श्री गणपतलाल राठौड पुत्र श्री पूनाराम जाति सीरवी निवासी बेरा निचला भेवरिया शिवनगरी सकूल के पास बिलाडा जिला जोधपुर ने मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरे पिताजी के नाम से नगर पालिका बिलाडा से पट्टा जारी हुवा हुआ हैं जिसमे कुछ क्षेत्रफल बढा कर कच्ची बस्ती योजना मे अपने नाम से नया पट्टा जारी करवाने के लिये नगर पालिका बिलाड़ा आवेदन फाईल जमा करवाई गई थी। नगर पालिका बिलाडा मे मैंने पट्टा जारी करवाने हेतु नियमन शुल्क और लीज राशि कुल रू0. 6042/– रसीद सं0 26 बुक सं0 600 के मार्फत 26 मई 23 को जमा करवाये थे अब नगर पालिका बिलाड़ा में पदस्थापित JEN पप्पु राम बैरवा ने मौका रिपोर्ट से लेकर पट्टा देने के एवज में मुझसे 10,000/– रू. की मांग कर रहा हैं मैं अपने जायज काम के लिये JEN पप्पुराम बैरवा को कोई रिश्वती राशि नही देना चाहता हू और रिश्वत लेते हुए JEN पपपुराम बैरवा को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरी पप्पुराम के साथ मे कोई दुश्मनी नही हैं और न ही किसी प्रकार का लेन देन बकाया हैं व तकरीरन दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट मे लिखे तथ्य सही होना, स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र अपने मित्र श्री रामजस आचार्य निवासी बिलाडा के हस्त लेख में स्वयं द्वारा बोल–बोल कर लिखवाना बताया तथा कनिष्ठ अभियन्ता श्री पप्पुराम से किसी प्रकार की लेन–देन व दुश्मनी नही होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 5.15 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय मे उपस्थित श्री अमरसिह कानि. 415 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कानि. श्री अमरसिह कानि. से परिवादी श्री गणपतलाल का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री गणपतलाल एवं श्री अमरसिह कानि 415 को कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाईस की जाकर परिवादी व श्री अमरसिह कानि के मोबाईल नम्बरो का आपस में

आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री गणपतलाल ने बताया कि मैं 2–3 दिन मेरे घरेलु कार्य से बिलाडा से बाहर रहुगा तथा दिनांक 30.05.2023 को मै बिलाडा में अपनी दुकान पर उपस्थित रहुगा। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 30.05.2023 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को अब तक की कार्यवाही को गोपनीयता रखने एवं दिनांक 30.05.2023 को अपनी दुकान पर उपस्थित रहने की हिदायत दी जाकर परिवादी को बिलाडा के लिए रवाना किया गया।

दिनांक 30.05.2023 को वक्त 07.35 ए.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अमरसिंह कानि. 415 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सहित सुपर्द कर परिवादी श्री गणपतलाल से सम्पर्क कर परिवादी श्री गणपतलाल व संग्दिध आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कानि. श्री अमरसिंह कानि 415 को हिदायत कर बिलाडा की तरफ रवाना किया। वक्त 3.52 पी.एम.पर श्री अमरसिंह कानि. ने जरिये मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मै कार्यालय से रवाना होकर बिलाडा पहुँचा जहॉ पर परिवादी श्री गणपतलाल अपनी दुकान याचना ज्वैलर्स पर उपस्थित मिला। जहा से मै व परिवादी श्री गणपतलाल रवाना होकर नगरपालिका बिलाडा के पास पहुच मैंने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपर्द कर संदिग्ध आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्तालाप रिकार्ड कर लाने हेतु नगर पालिका बिलाडा भेजा गया तथा मै नगर पालिका बिलाडा के सामने ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी श्री गणपतलाल के आने के इन्तजार मे व्यस्त हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री गणपतलाल मेरे पास उपस्थित आया, जिस पर मैंने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री गणपतलाल ने मेरे को बताया कि मेरी ओर श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता की मेरे कार्य से सम्बधित वार्ता हुई है, परन्तु नगर पालिका कार्यालय बिलाडा में भीड़–भाड़ अधिक होने से मेरे व श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता के बीच में रिश्वति राशि के सम्बध में स्पष्ट वार्तालाप नहीं हुई है। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अमर सिंह कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी श्री गणपतलाल को आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु बिलाडा मे उपस्थित रहने तथा संदिग्ध आरोपी से संम्पर्क होने पर तुरन्त जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क करने एवं परिवादी को बिलाडा मे ही छोडने की हिदायत कर श्री अमरसिह कानि. को डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 31.05.2023 को वक्त 02.10 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस अन्य गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय से बाहर होकर पुनः कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री अमरसिंह कानि 415 जो कि कार्यालय में उपस्थित है ने बताया कि मैं बिलाड़ा से पुनः कार्यालय में दिनांक 30.05.2023 को वक्त 8.00 पी.एम. पर पहुंच गया था तत्पश्चात श्री अमरसिंह कानि. ने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा प्रस्तुत कर बताया कि मैने बिलाडा पहुँच कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपर्द कर नगर पालिका बिलाडा में संदिग्ध आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्तालाप रिकार्ड कर लाने हेतु भेजा गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री गणपतलाल मेरे पास उपस्थित आया, जिस पर मैंने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परीवादी श्री गणपतलाल ने मुझे बताया कि मेरी ओर श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता की मेरे कार्य से सम्बधित वार्ता हुई है, परन्तु नगर पालिका कार्यालय बिलाडा में भीड़–भाड़ अधिक होने से मेरे व श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के बीच में रिश्वति राशि के सम्बध में स्पष्ट वार्तालाप नहीं हुई है उक्त हालात मेरे द्वारा पूर्व में जरिये मोबाईल आपको बताये गये थे। जिस पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना जाने पर वार्ता में अत्यधिक शोरगुल एवं स्पष्ट वार्तालाप नहीं होने से उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार नहीं करने एवं इस ट्रेप कार्यवाही हेतु आईन्दा पुनः रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 15.06.2023 को वक्त 7.45 ए.एम. पर श्री अमरसिंह कानि 415 ने मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि परिवादी श्री गणपतलाल ने जरिये मोबाईल फोन वक्त 7.39 ए.एम पर वार्ता कर बताया कि श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता जो कि अपने घरेलु कार्य से पिछले कई दिनों से नगर पालिका बिलाडा से बाहर थे। मुझे मेरे सूत्रो से जानकारी मिली कि श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता आज अपने कार्यालय में उपस्थित मिल सकते है एवं आज मेरे व संदिग्ध श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के बीच मेरे कार्य से सम्बधित एवं रिश्वति राशि के सम्बध में बातचीत हो सकती है। जिस पर वक्त 8.00 ए.एम. पर श्री अमरसिंह कानि. 415 कार्यालय हाजा पर उपस्थित है को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मय मैमोरी कार्ड सहित श्री अमरसिंह कानि. 415 को सुपर्द कर परिवादी श्री गणपतलाल से सम्पर्क कर परिवादी श्री गणपतलाल व आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कानि. श्री अमरसिंह कानि 415 को हिदायत कर बिलाडा की तरफ रवाना किया। वक्त 1.10 पी.एम. पर श्री अमरसिंह कानि. 415 ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि कार्यालय से जरिये बस रवाना होकर बिलाडा स्थित परिवादी की दुकान याचना ज्वैलर्स पर पहुँचा। जहॉ पर परीवादी श्री

गणपतलाल उपस्थित मिला, परीवादी ने अपने स्तर पर श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति के बारे में मालुमात किया तो पता चला कि श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय में उपस्थित है। जिस पर मै व परिवादी गणपतलाल की दुकान से रवाना होकर नगर पालिका बिलाडा के पास पहुँच मेरे द्वारा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपर्द कर संदिग्ध आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्तालाप रिकार्ड कर लाने हेतु नगर पालिका बिलाडा भेजा गया तथा मैं नगर पालिका बिलाडा के पास ही गोपनीय रूप से परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री गणपतलाल मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को दिया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री गणपतलाल ने मुझे बताया कि मेरी व श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के बीच मेरे कार्य व रिश्वति राशि के सम्बध में वार्ता हो चुकी है। श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मेरे से दस हजार रूपये रिश्वति राशि की मांग करते हुए कल दिनांक 16.06.2023 को ही देने हेतु कहा गया है। जिस पर श्री अमरसिंह के मोबाईल से परिवादी श्री गणपतलाल से वार्ता कर आरोपी को दी जाने वाली रिश्वति राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 16.06.2023 को वक्त 7.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व अब तक की कार्यवाही को गोपनीय रखने की हिदायत की गई एवं श्री अमरसिंह कानि. को डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित कार्यालय पहुँचने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 4.00 पी. एम. पर श्री अमरसिंह कानि 415 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच ऑफ सुदा मन् निरीक्षक पूलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त डिजिटल व्राईस रिकार्डर को चालु कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो संग्दिध आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परीवादी से दस हजार रूपये रिश्वति राशि की मांग करना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया एवं उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रास्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 4.30 पी.एम. पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी के नाम से पत्र तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने बाबत श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 को सुपुर्द कर रवाना किया गया। वक्त 6.00 पी.एम. पर श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र की कार्यालय प्रति प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी द्वारा श्री मोहनलाल कनिष्ठ अभियन्तां व श्री रेवाराम वरिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाहान हेतु पाबन्द किया गया है। जिस पर उक्त दोनों गवाहान से जरिये मोबाईल वार्ता कर कल दिनांक 16.06.2023 वक्त 7.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 16.06.2023 को वक्त 7.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना दोनो गवाहान को परिचय दिया जाकर उनका बारी-बारी से परिचय पूछने पर श्री मोहनलाल पुत्र श्री जगराम जी जाति विश्नोई निवासी कुका तहसील बागोडा जिला जालौर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर मोबाईल नम्बर 9413718051 एवं श्री रेवाराम पुत्र श्री श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट भण्टिडा तहसील कुडी जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर मोबाईल नम्बर 941356717 होना बताया। तत्पश्चात वक्त 8.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री गणपतलाल में उपस्थित आया व बताया कि मै श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 10,000/- रुपये साथ लेकर आया हुं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित उक्त दोनो गवाहान व परिवादी श्री गणपतलाल का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री गणपतलाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर चालु कर उसमें परिवादी श्री गणपतलाल एवं संदिग्ध आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य हुई दिनांक 15.06.2023 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली की गई एवं दोनो उक्त गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। वक्त 8.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गणपतलाल को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री गणपतलाल ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 10,000/-रू 500-500 रू. के कुल 20 नोट रूबरू गवाहान के पेश किये। जिस पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि 10,000/- रुपये श्री ताराचन्द्र हैड कानि. को सुपुर्द कर उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रेवाराम से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत

दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसे निकाल कर देवे रिश्वति राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलाये अभिवादन की आवश्यकता पडे तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लेवे। आरोपी द्वारा रिश्वति राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता है का भी ध्यान रखे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने अपने दोनों हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 8890931693 पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन–देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को भली भांति समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम मे लिये गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान ताराचन्द्र हैड कानि. 112 से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाई जाकर हैड कानि. को कार्यालय मे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 8.55 ए.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मोहनलाल विश्नोई, श्री रेवाराम, परिवादी श्री गणपतलाल ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, संजय कानि. 587, श्री भीमसिंह कानि 446 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 मय चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से बिलाडा के लिए रवाना होकर वक्त 10.30 ए.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के नगर पालिका बिलाडा से थोडा पहले अम्बेडकर सर्किल पर पहुँच सरकारी वाहनों को गोपनीय रूप से सडक किनारे खडे करवा कर मन् निरीक्षक पुलिस ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी के अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए नगर पालिका बिलाडा के पास पहुँच गोपनीय रूप से संदिग्ध आरोपी की उपस्थिति के बारे में मालुमात करने पर संदिग्ध श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका बिलाडा में उपस्थित नहीं होकर कहीं बाहर होना ज्ञात होने पर संदिग्ध श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के नगर पालिका बिलाडा में उपस्थित होने के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 12.17 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गणपतलाल के मोबाईल नम्बर 8386019993 से संदिग्ध श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9799760885 पर वार्ता करवाया जाने पर संदिग्ध श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता ने परिवादी को बताया कि आज वह अपने किसी निजी कार्य में व्यस्त होकर बिलाडा में उपस्थित नहीं होकर मुख्यालय से बाहर है। बिलाडा पहुँचने पर उसके द्वारा सम्पर्क कर लिया जावेगा। चूंकि आज दिनांक को संदिग्ध अधिकारी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के नगर पालिका बिलाडा में उपस्थित होने की संभावना नहीं होने से रिश्वति राशि आदान प्रदान होना संभव नही होने से आईन्दा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 12.30 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गणपतलाल के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से 10,000/– रुपये रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई से निकलवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि को एक सफेद कागज मे लपेटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई के पास सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी श्री गणपतलाल को आईन्दा संदिग्ध आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के बिलाडा पहुँचने पर उपस्थिति की मालुमात कर मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाने एवं अब तक की ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं दिनांक 19.06.2023 को वक्त 11.00 एएम पर नगर पालिका बिलाडा से थोडा पहले अम्बेडकर सर्किल के पास उपस्थित मिलने की हिदायत कर परिवादी को बिलाडा में ही रुखसत दी गई। वक्त 01.00 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मोहनलाल विश्नोई, श्री रेवाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, संजय कानि. 587, श्री भीमसिंह कानि 446 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, श्री मोहनलाल विश्नोई को सुपर्द सुदा रिश्वति राशि, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के नगर पालिका बिलाडा के पास से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना होकर वक्त 03.05 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मोहनलाल विश्नोई, श्री रेवाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, संजय कानि. 587, श्री भीमसिंह कानि 446 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, श्री मोहनलाल विश्नोई को सुपर्द सुदा रिश्वति राशि, पानी का कैम्पर एवं

कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पर उपस्थित आये। तत्पश्चात मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई से रिश्वती राशि 10,000/– रुपये जो सफेद कागज मे लपेटी हुई स्थिति मे ही कार्यालय के अलमारी में रखवा कर अलमारी के ताला लगवाया जाकर चाबी मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखी गई तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को भी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। ताबाद स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मोहनलाल विश्नोई एवं श्री रेवाराम को आईन्दा दिनांक 19.06.2023 को वक्त 9.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत दी गई।

दिनांक 18..06.2023 को वक्त 10.18 ए.एम. पर परिवादी श्री गणपतलाल ने अपने मोबाईल नम्बर 8386019993 से मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर बताया कि संदिग्ध श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता ने दिनांक 17.06.2023 को शाम के समय मेरे को कॉल कर बताया कि मैं बिलाडा में आपकी दुकान पर आया हुआ हु, आप अपनी दुकान पर आ जाओ, जिस पर मैने श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता को बरसात का मौसम होने के कारण दुकान पर आने में असमर्थता जाहिर की गई। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गणपतलाल को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कल दिनांक 19.06.2023 को वक्त करीब 11. 00 ए.एम तक बिलाडा पहुँचने एवं बिलाडा में अम्बेडकर सर्किल पर मिलने की एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई।

दिनांक 19.06.2023 को वक्त 10.00 ए..एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मोहनलाल विश्नोई एवं श्री रेवाराम कार्यालय पर उपस्थित आये। वक्त 11.15 ए.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, द्वारा रिश्वती राशि 10,000/– रुपये जो सफेद कागज मे लपेटी हुई स्थिति मे ही कार्यालय के अलमारी में रखवाये गये थे उक्त अलमारी का ताला खोलकर अलमारी में रखी गई रिश्वती राशि को सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई से निकलवाई जाकर सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही श्री मोहनलाल विश्नोई गवाह को सुपुर्द की जाकर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान, ब्यूरो जाब्ता श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री अमरसिंह, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीमसिंह कानि. 446 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम ड्रा.कानि. 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से बिलाडा की तरफ रवाना हुए। क्त 01.50 पी..एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान, ब्यूरो जाब्ता श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री अमरसिंह, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीमसिंह कानि. 446 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली एवं सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही रिश्वति राशि गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम ड्रा.कानि. 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के नगर पालिका बिलाडा से थोडा पहले अम्बेडकर सर्किल पर पहुँचे जहाँ पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री गणपतलाल अपने निजी वाहन से उपस्थित मिला। जिस पर गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई के पास रखी रिश्वति राशि को गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई से सफेद कागज मे से निकलवा कर परिवादी श्री गणपतलाल के पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखवाई जाकर सफेद कागज जिसमें रिश्वति राशि लेपेटी हुई थी उस सफेद कागज को वाहनो की ओट में जलाकर नष्ट किया गया एवं गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। सरकारी वाहनों को गोपनीय रूप से सडक किनारे खडे करवा कर आरोपी की नगर पालिका बिलाडा में उपस्थिति सुनिश्चित करने के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 2.56 पी.एम. पर गोपनीय सूत्र से जानकारी प्राप्त कि की संदिग्ध श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा में उपस्थित है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अमरसिंह कानि. नम्बर 415 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी श्री गणपतलाल को सुपुर्द कर परिवादी के निजी वाहन से नगर पालिका बिलाडा के लिए रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए नगर पालिका बिलाडा के लिये पैदल–पैदल रवाना हुए। वक्त 3.00 पी. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से नगर पालिका बिलाडा के आस–पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्तः 3.20 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को वक्त 3.08 पी.एम पर परिवादी श्री गणपतलाल राठौड पुत्र श्री पूनाराम जाति सीरवी उम्र 35 साल पैशा प्राईवेट धंधा, निवासी– बेरा, निचला भेवरिया, शिवनगरी स्कूल के पास बिलाडा,

तहसील बिलाडा जिला जोधपुर ने मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 8386019993 से मिस कॉल कर किया। जिस पर परिवादी के उक्त मिस कॉल के ईशारे पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा नगर पालिका बिलाडा के मुख्य गेट के आस–पास खडे ब्यूरो जाब्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को ईशारे से बुलाकर हमराह लेकर नगर पालिका बिलाडा कार्यालय मे प्रवेश हुए तो उक्त कार्यालय भवन अन्दर बांई तरफ स्थित भूमि शाखा/स्टेट ग्रान्ट के कमरा नम्बर 09 के गेट पर परिवादी श्री गणपतलाल उपस्थित मिला। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर स्वीच ऑफ कर ने अपने पास सुरक्षित रखा।आईन्दा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिट तैयार करने का निर्णय लिया गया। उक्त कमरे के अन्दर तीन व्यक्ति उपस्थित मिले जिस पर परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री पप्पुराम जेईएन हैं इन्होने अभी मेरे से नगर पालिका भवन के बांयी तरफ (स्टेडियम की तरफ) एकान्त मे ले जाकर रिश्वती राशि मांग कर प्राप्त कर अपने हाथ मे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रख कर वहां से वापस कार्यालय के अन्दर आकर उक्त कमरे मे आकर बैठे है इसी दौरान मैने आपको मिसकॉल कर गोपनीय ईशारा किया था। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता के दोनो हाथ कलाईयो के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकडवाये गये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कमरे में मौजुद दोनो अन्य व्यक्तियों से बारी बारी से उनका परिचय पुछने पर एक ने अपना नाम श्री सुरेन्द्र भाटी सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका बिलाडा एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री महावीर पुत्र श्री मोहनलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होना बताया। तत्पश्चात उक्त दोनो कर्मचारियों को उसी कमरे में छोडते हुए आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता को उक्त कमरा नम्बर 09 से कमरा नम्बर 10 कनिष्ठ अभियंता के कक्ष मे रूबरू गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते के लेकर आई। तत्पश्चात मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपना, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री पप्पुराम बैरवा पुत्र श्री बालूराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 44 साल पैशा नौकरी निवासी हाडली तहसील व पुलिस थाना बैजूपाडा जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने श्री गणपतलाल की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता से पूछा गया कि आप इनको जानते हो। जिस पर आरोपी श्रीं पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि यह गणपतलाल हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान के आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता से पूछा गया कि अभी आपने श्री गणपतलाल से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं, जिस पर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता ने रुबरु गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के कहा कि हॉ मैने श्री गणपतलाल से 10,000/– रुपये अपने हाथ मे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब मे रखे है। ताबाद मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता से पूछा गया कि आपने उक्त राशि किस बात की ली गई हैं तो आरोपी ने बताया कि इन्होने अपनी मर्जी से दिये है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री गणपतलाल ने आरोपी के उक्त कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि मेरे पिताजी के नाम से नगर पालिका बिलाडा से पट्टा जारी हुवा हुआ हैं जिसमे कुछ क्षेत्रफल बढाकर कच्ची बस्ती योजना मे मेरे व मेरे भाई श्री दिनेश के नाम से नया पट्टा जारी करवाने के लिये आवेदन फाईल जमा करवाकर दिनांक 26.05.2023 को रसीद संख्या 26 बुक संख्या 600 प्राप्त की थी। श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता ने मौका रिपोर्ट से लेकर पट्टा देने की एवज मे 10,000/– रुपये रिश्वत की मांग की थी। जो राशि आज मैने श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता को दी हैं। जिस पर मन अनु चौधरी ने रुबरु गवाहान के पुनः तसल्ली देकर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता को रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध मे पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मैने श्री गणपतलाल की पट्टे की फाईल कम्पलीट कर दी हैं उसके पैसे आज मुझे श्री गणपतलाल ने दिये हैं। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नगर पालिका कार्यलय भवन मे ही करने का निर्णय लिया जाकर अधिशाषी अधिकारी श्री जितेन्द्र भाटी से उनके मोबाईल नम्बर 8890975701 पर कॉल कर आरोपी के विरुद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई एवं हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन किये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता दोनो मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपी के रुबरु सरकारी वाहन बोलेरो से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका बिलाडा के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में नगर पालिका कार्यालय से पीने के पानी के कैम्पर से पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो कांच की गिलासों में पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने गिलासो के उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार घोल के एक गिलास मे आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात्

दूसरे कॉच के गिलास मे तैयार घोल में आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। ताबाद मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री रेवाराम से लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे से 500–500 रुपये के नोटो का एक बण्डल मिला जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी रिश्वती राशि निकलवाकर गवाह श्री मोहनलाल विश्नोई को सुपुर्द कर गवाह श्री रेवाराम से उक्त रिश्वती राशि के नम्बर बोल--बोल कर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। तत्पश्चात मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियंता के पहनने हेतु एक लोअर की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट उतरवाई जाकर लोअर पहनाया गया। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच की गिलास निकाल कर उक्त गिलास मे कर्यालय मे रखे कैम्पर मे से पीने का साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाल कर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन काच की गिलास के घोल मे आरोपी की उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास के उक्त घोल मे डूबोवाकर धुलवाया गया तो उक्त घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी.–1 व पी.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त पेन्ट की उक्त जेब को सुखाया जाकर पेन्ट की जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली मे डालकर थैली को शील्ड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क–पी अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त बरामद सुदा रिश्वती राशि 500–500 रुपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/– रू. रिश्वती राशि के नोटो कों बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही प्रथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। कार्यवाही के दौरान श्री जितेन्द्र भाटी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बिलाडा से जरिये मोबाईल वार्ता कर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता का सेवा विवरण एवं परिवादी के लम्बित कार्य से सम्बधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 05.25 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी श्री गणपतलाल, दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 05.50 पी.एम पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बिलाडा के नाम पत्रांक स्पेशल 01 दिनांक इमरोजा जारी कर आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता का सेवा विवरण प्राप्त कर शामिल रनिंग नोट किया गया । वक्त 06.15 पी.एम. पर आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा पुत्र श्री बालुराम बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ली तहसील व पुलिस थाना बेजुपाडा जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर से की गई पूछताछ व हाथ धोवन कार्यवाही एवं आरोपी श्री पप्पुराम के पहनी हुई पेन्ट जिसकी पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वति राशि बरामद होना जिसका लिया गया धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री पप्पुराम द्वारा परिवादी श्री गणपतलाल के पिताजी के नाम से पूर्व में नगर पालिका बिलाडा से जारी सुदा पट्टा जिसमे कुछ क्षेत्रफल बढा कर कच्ची बस्ती योजना मे परिवादी श्री गणपतलाल के नाम से नया पट्टा जारी करवाने के लिये आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा द्वारा मौका रिपोर्ट से लेकर पटटा देने की एवज में वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर द्वारा 10,000/– रूपये रिश्वति राशि मांग कर परिवादी से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना, जो रिश्वति राशि आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा पुत्र श्री बालुराम बैरवा उम्र 44 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ली तहसील व पुलिस थाना बेजुपाडा जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त 6.30 पी.एम. पर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के हाथो का लिया गया धोवन एंव आरोपी के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन की शील्ड सुदा शिशियां,

जब्त सुदा रिश्वति राशि आदि मुताबिक फर्दात, ट्रेप बाक्स, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, कार्यवाही से सम्बधित पत्रावली तथा गिरफतार सुदा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमार सिंह कानि. 493, श्री. बचनाराम कानि. 447, श्री अमरसिंह कानि. 415 को हमरा लेकर सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम ड्रा.कानि. 638 के नगर पालिका बिलाडा से आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के निवास स्थान जैतारण में स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी ली जाने हेतु श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस एसीबी चौकी पाली द्वितीय को उच्चाधिकारियों द्वारा मामुर किया जाने से श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के किराये के निवास स्थान जैतारण पर पहुँच कर मालुमात किया जाने पर उक्त मकान का मकान मालिक उपस्थित नहीं होने से आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी आरोपी की उपस्थिति में ली जाने हेतु जैतारण के लिए रवाना हुए। परिवादी श्री गणपतलाल को आईन्दा दिनांक 20.06.2023 को वक्त 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखस्त की गई।

दिनांक 20.06.2023 को वक्त 07.15 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, गिरफतार शुदा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता मय ब्यूरो जाब्ता, आरोपी के हाथो एवं पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन की शील्ड सुदा शिशियां, जब्त सुदा रिश्वति राशि आदि मुताबिक फर्दात, ट्रेप बाक्स, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, कार्यवाही से सम्बधित पत्रावली के सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के, जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम ड्रा.कानि. 638 के नगर पालिका बिलाडा से उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के निवास स्थान जैतारण में किराये के मकान गीता भवन के पास स्थित मेवाडा नगर, गणेश स्कुल के पास श्री रमेश के मकान पर पहुँचे जहाँ पर श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो पाली द्वितीय मय ब्यूरो जाब्ता के उपस्थित मिले। तत्पश्चात श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता द्वारा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के किराये के मकान निवास स्थान की खाना तलाशी आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में ली जाकर अलग से फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। वक्त 07.55 पी.एम. पर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के हाथो का लिया गया धोवन एंव आरोपी के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन की शील्ड सुदा शिशियां, जब्त सुदा रिश्वति राशि आदि मुताबिक फर्दात, ट्रेप बाक्स, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, कार्यवाही से सम्बधित पत्रावली तथा गिरफतार सुदा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमार सिंह कानि. 493, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री अमरसिंह कानि. 415 को हमरा लेकर सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम ड्रा.कानि. 638 के आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के किराये के मकान जेतारण से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना होकर वक्त 09.30 पी.एम. पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा कार्यालय पहुँच जब्त शुदा रिश्वती राशि, आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभिंयन्ता के दोनों हाथों के धोवन के प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद होना उस पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क पी–1, पी–2 , उक्त पेन्ट का पैकेट मार्क–पी, आदि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। ताबाद दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 20.06.2023 को वक्त 8.00 ए.एम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने की हिदायत कर रुखसत दी गई। वक्त 09.40 पी एम पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112, श्री संजय कानि. 587, एवं श्री रामकिशोर कानि. 110 मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर का राजकीय चिकित्सालय पावटा जोधपुर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपर्द करने हेतु रवाना किया गया। वक्त 11.30 पी.एम. पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112, श्री संजय कानि. 587, एवं श्री रामकिशोर कानि. 110 मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्रात कर आरोपी श्री पप्पुराम कनिष्ठ अभियन्ता को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपर्द कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 20.06.2023 वक्त 8.00 ए.एम पर पूर्व से पांबद सुदा परिवादी श्री गणपतलाल दोनो मौतबिरान श्री मोहनलाल विश्नोई एवं श्री रेवाराम कार्यालय मे उपस्थित आये जिस पर वक्त 08.15 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रेवाराम, श्री मोहनलाल तथा परिवादी श्री गणपतलाल एवं आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियंता कार्यालय नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 15.06.2023 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप तथा आरोपी व परिवादी के मध्य हुई दिनांक 19.06.2023 को रूबरू रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर मैमोरी कार्ड मे रिकोर्डेड उक्त दोनों वार्तालापो को रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कम्प्युटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से बारी-बारी से सुन-सुन कर श्री अमरसिंह कानि. 415 की सहायता से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियंता कार्यालय नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर तथा स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री गणपतलाल द्वारा की गई। तत्पश्चात उपरोक्त दोनों वार्तालापे कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ताओं की श्री अमरसिंह कानि. 415 से कार्यालय के कम्प्युटर मे कॉपी करवाई जाकर उक्त दोनो वार्तालापो की कम्प्युटर की मदद से एक सीडी तैयार करवाई गई। उक्त सीडी को डब सीडी मानते हुए सीडी पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी को खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर से मौमोरी कार्ड को बाहर निकाल कर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त शील्ड सुदा मैमोरी कार्ड के पैकेट एवं एक डब सीडी खुली हालात मे ही मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 11.00 ए.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री जितेन्द्र भाटी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बिलाडा, श्री रूपसिंह सिरवी चैयरमैन नगर पालिका बिलाडा एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका बिलाडा को कल दिनांक 19.06.2023 को बारी-बारी से जरिये फोन सम्पर्क करने के प्रयास कर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पट्टे की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा की आवाज की पहचान हेतु अधिनस्थ दो कर्मचारियों को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उक्त अधिकारियों द्वारा न तो दिनांक 19.06.2023 को कोई कर्मचारी उपलब्ध करवाये और न ही आज दिनांक को इस समय तक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये है और न ही उक्त वांछित रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया है। अतः आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता की नमूना आवाज की पहचान करवाया जाना संभव नही है। आईन्दा प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आवाज की पहचान हेतु सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी/अधिकारी को तलब कर फर्द नमूना आवाज मुर्तिब की जाने एवं परिवादी के लम्बित कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। वक्त 11.30 एएम पर श्री संजय कानि. 587 एवं श्री रामकिशोर कानि. 110 को जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे 14 यूसी 8790 चालक श्री ओमप्रकाश के आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर से लाने हेतु रवाना किया गया। जो वक्त 12.15 पीएम पर आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा को पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर से लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा पुत्र श्री बालुराम बैरवा उम्र 44 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ली तहसील व पुलिस थाना बेजुपाडा जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री गणपतलाल से आरोपी द्वारा परिवादी के पिताजी के नाम से नगर पालिका बिलाडा से पट्टा पूर्व में जारी हो रखा था जिसमे कुछ क्षेत्रफल बढा कर कच्ची बस्ती योजना मे परिवादी व उनके भाई दिनेश के नाम से नया पट्टा जारी करवाने के लिये नगर पालिका बिलाड़ा में आवेदन फाईल जमा करवाई गई थी। परिवादी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु नगर पालिका बिलाडा नियमन में निर्धारित शुल्क और लीज राशि कुल रू0. 6042/- रसीद सं0 26 बुक सं0 600 के द्वारा दिनांक 26 मई 2023 को जमा करवाये थे। उक्त पट्टा जारी करने की एवज में श्री पप्पुराम बैरवा कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा ने मौका रिपोर्ट से लेकर पट्टा देने की एवज में परिवादी से 10,000/- रू. रिश्वति राशि की मांग करने, वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मांग के अनुशरण में परिवादी से 10,000/- रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वति राशि 10,000/- रूपये बरामद होना पाया गया है।

आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा पुत्र श्री बालुराम बैरवा उम्र 44 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ली तहसील व पुलिस थाना बेजुपाडा जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका बिलाडा जिला जोधपुर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग, आरोपी के बॉये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में मटमैला आना, 10,000/— रूपये रिश्वति राशि आरोपी श्री पप्पूराम कनिष्ठ अभियन्ता के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद होना उक्त पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन हल्का गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपी श्री पप्पुराम बैरवा पुत्र श्री बालुराम बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ली तहसील व पुलिस थाना बेजुपाडा जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर. पालिका बिलाडा जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन जरिये ई—मेल प्रेषित की जा रही है।

(असु चौधरी)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पप्पूराम बैरवा, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका बिलाडा, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 159/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1197-1200 दिनांक 20.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

20.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।